

क्रमांक: प.1(1) प्र.सु./अनु.-3/2020

जयपुर, दिनांक: 17.09.2020

निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षणालय,
जयपुर।

विषय:-कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को विभाग (नियुक्ति अधिकारी) आवंटन वावत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक प.2()वविनि/संस्था/2020/4194 दिनांक 01.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके विभाग (नियुक्ति अधिकारी) को आवंटित 01 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर नियुक्ति संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन से पूर्व कृपया निम्न बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से अपने स्तर पर सुनिश्चित की जावे :-


1. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदि की कार्यवाही नियुक्तकर्ता अधिकारियों द्वारा राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
2. इन अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे हैं।
3. इन अभ्यर्थियों को जिन कार्यालयों में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (जाईनिंग रिपोर्ट) करना हो उस कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Computer/typing संबंधी), आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। सभी दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्य प्रतियां (Certified/Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावें।
4. ओ.बी.सी. एवं एमबीसी वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो।
5. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी शपथ-पत्र [कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा] निर्धारित प्रोफोर्मा में पूर्ति करावें।
6. गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र का आवश्यकता अनुसार अनुसरण किया जावे।
7. स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. आपके विभाग (नियुक्ति अधिकारी) द्वारा प्रार्थी के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी करने के बाद यदि प्रार्थी नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण नहीं करता है, तो नियुक्ति निरस्त कर अभ्यर्थी का आवेदन फार्म इस विभाग को लौटाए।

9. किसी अभ्यर्थी के संबंध में कोई भी नियम संबंधी स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के तहत कार्मिक (क-2) विभाग से सम्पर्क कर राय प्राप्त करें।
10. MBC के अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 1 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति. पिछडा वर्ग के 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है जिनकी सूचना आप द्वारा विभाग को प्रेषित की गई है, के विरुद्ध ही इन 4 प्रतिशत अभ्यर्थियों का पदस्थापन किया जावे। इस संबंध में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3469/2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति.पिछडा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सृजित छाया पदों (Shadow Posts) के विरुद्ध ही की जाकर उक्त आदेश की पालना अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित की जावें।
11. नियुक्ति अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियमों एवं शर्तों (Terms and Conditions of appointment) को सम्मिलित करें।
12. कृपया नियुक्ति आदेश जब भी जारी करेंगे उक्त आदेशों को संकलित कर एकजाई सूचना इस विभाग को व एक प्रति सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भेजने की व्यवस्था करें। अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण की सूचना भी कार्यभार ग्रहण करने का समय समाप्त होते ही इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी के स्तर से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 18.05.2020 जारी किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार ही, In-person Counseling के माध्यम से प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान का निर्धारण वर्तमान में जारी लॉक-डाउन के कारण अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने स्तर पर सम्पन्न कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति शीघ्र मिल सके।

संलग्न -सूची


भवदीय,

 17.9.2020

(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव.....।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. संबंधित विभाग.....।

 17.9.2020
संयुक्त शासन सचिव

नियुक्ति अधिकारी निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय विभाग, जयपुर को आवंटित अभ्यर्थियों की सूची (NTSP)

SNO	RANK	APPLICATION NO	ROLLNO	NAME	FNAME	GENDER	DOB	CAT	H_CAT	SEL_CAT
1	12365	201804709281	1290383	DHARMENDRA KUMAR	PREM SINGH	Male	23-Jul-97	MBC	--	O_MBC

 17.9.2020